

प्रारूप-एक

(नियम 11)

कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व

विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: अधिसूचना :-

क्रमांक/25 /202403200400015/अ-82/भू-अर्जन/2023-24कोण्डागांव,दिनांक 5/1/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से लेकर खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में दर्शित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

-: अनुसूची :-

भूमि का विवरण						धारा 12	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.)	प्रभावित रकबा (हे.)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
कोण्डागांव	केशकाल	मार्तेंगा	39/18	0.2020	0.0143	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला कोण्डागांव	होनहेंड से मार्तेंगा मार्ग निर्माण कार्य।
			39/10	0.4860	0.0478		
			39/16	0.5260	0.0383		
			37/2	0.5370	0.0182		
			38/2	0.2220	0.0203		
			37/3	0.2510	0.0148		
			38/1	0.2230	0.0161		
			37/1	0.2830	0.0154		
			39/20	0.1010	0.0111		
			39/23	0.0400	0.0062		
			39/11	0.0730	0.0067		
			39/22	0.0810	0.0072		
			39/21	0.0890	0.0072		
			35/2	0.1530	0.0132		
			32	0.2830	0.0330		
			29	0.1820	0.0165		
			30	0.2230	0.1125		
			19/1/ख	0.4860	0.0100		
			19/1/क	0.2020	0.0100		
			31	0.1420	0.0220		

	39/3/ख/1	0.0610	0.0052		
	28/1	0.2020	0.0105		
	28/2	0.2030	0.0126		
	27	0.2430	0.0120		
	35/1	0.1510	0.0135		
	18/3/इ	1.0110	0.0840		
	18/1/ख/3	0.8490	0.0750		
	10/17	1.8210	0.0450		
	14	0.8490	0.0500		
	10/9/ख	2.5090	0.1200		
	7/2/ख	0.6230	0.0500		
	8	2.1650	0.0180		
योग	32	15.4720	0.9366		

- 2- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 4- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- 5- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- 6- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केशकाल, जिला-कोण्डागांव को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(नूपुर राशि पन्ना)

कलेक्टर जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक/25-11/202403200400015/अ-82/भू-अर्जन/2023-24कोण्डागांव,दिनांक 5/11/2025

प्रतिलिपि:-

- कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोण्डागांव संभाग, कोण्डागांव को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल को उपलब्ध कराने बाबत।

2. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल को उपलब्ध कराने बाबत।
3. तहसीलदार केशकाल को अधिसूचना की प्रति तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय केशकाल, कलेक्टर कार्यालय जिला-कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत उमरादाह कार्यालय, जनपद पंचायत केशकाल कार्यालय में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।

(नूपुर राशि पन्ना)
कलेक्टर जिला-कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कलेक्टर कार्यालय, कोण्डागांव